A 4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 19/2015

जीसीएमएस नम्बर :2015/00029

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री मानसिंह पुत्र स्व. श्री अभय सिंह जाति राजपुत निवासी कंटालिया तहसील मा0ज0		1. ग्राम पंचायत कंटालिया जरिये सरपंच 2. श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपुत निवासी कंटालिया तहसील मा0ज0 जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक : 15-11-2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कंटालिया के संकल्प संख्या 6 दिनांक 21.07.1974 द्वारा जारी पट्टा संख्या 118 दिनांक 4.8.1974 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत कंटायिला द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 118 जारी किया, उक्त आराजी ठिकाना कंटालिया की है जो इकरारनामा दिनांक 17.08.66 संवत 2023 में ठिकाणे की ओर से जैर आराजी भुमि प्रार्थी की माता आन्नद कवंर पत्नी अभयसिंह को दी गई थी, जिसे आन्नद कंवर ने जरिये वसीयतनामा प्रार्थी के हक में दिनांक 18.05.1985 को किया गया। जिसका प्रार्थी एक मात्र मालिक है, जिसका ग्राम पंचायत कंटालिया द्वारा पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए नियम विरूद्व पट्टा जारी कर दिया, जिसके संबध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की मिसल कायम नहीं की गई है ओर न ही ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उल्लेख है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है जिसके संबध लम्बे समय से कब्जा होने पर बाजारू दर से एक तिहाई या 1/6 किमत पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है लेकिन उक्त पट्टा जारी करते समय इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नही अपनायी गई है न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में लिया गया है। ग्राम पंचायत के तत्कालिन सरंपच पृथ्वीसिंह ने सरपंच पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध जाकर अपने पुत्र के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो पंचायत राज नियमों के खिलाफ है एवं खारीज योग्य है। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ है एवं अपने परिवार सहित निवास कर रहा है, जिसकी निर्माण स्वीकृति प्रार्थी ने ग्राम पंचायत कंटालिया से ली है। प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे के संबध में जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.05.2015 को प्रथम बार हुई, जिसके संबध में ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टे के संबध रेकर्ड चाहा जो ग्राम पंचायत ने रेकर्ड नही होना बताया, जिससे साफ जाहिर होता है कि तत्कालीन सरंपच ने पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए अपने ही पुत्र को पट्टा जारी कर दिया जो खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर, पाली

A 4/2

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी भूमि ग्राम पंचायत कंटालिया कि भुमि है, जिस पर ग्राम पंचायत कंटालिया को पट्टा जारी करने का अधिकार है, उक्त आराजी कंटालिया ठिकाणा की है यह कही स्पष्ट नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज न ही पंजीबद्ध है न ही मूल दस्तावेज है जिसकी प्रमाणिकता का कोई आधार नही है, जिसके आधार पर किसी जैर निगरानी पट्टा जारी खारिज करने को कोई आधार नही है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1974 में जारी किया गया है जिसके जारी हुये लगभग 43 वर्ष हो गये इतने समय बाद जैर निगरानी पट्टे को चैलेंज करना करना न्यायोचित नही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कंटालिया से मकान निर्माण की स्वीकृति ली है जिससें यह कही स्पष्ट नही होता है कि उक्त मकान निर्माण स्वीकृति जैर निगरानी आराजी के संबध में है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पुर्णरूप पंचायत नियमों की पालना ही है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2002(4) आरएलडब्ल्यु 2284–39, 1999(3)आरएलडब्ल्यु 1390 एवं 2008(2)DNJ page 735 पेश किये।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कंटालिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 118 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त जैर आराजी के संबध में ग्राम पंचायत में पट्टे के अलावा किसी प्रकार का रेकर्ड प्राप्त नही हुआ है, जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत– ग्राम पंचायत किसी आबादी भूमि का निजी बातचीत के द्वारा विक्रय के रूप में हस्तान्तरण कर सकेगी अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर सत्याभासक का दावा रखता है और निलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो या ग्राम पंचायत को यह लगता है कि अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों या अन्य पिछडी जातियों की उन्नति के लिए आवश्यक समझा जावे या आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा 40 वर्ष या अधिक का हो तो वहां विद्यमान बाजार दर से 1/6 भाग वसुल किया जायेगा या ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि को जिसकी संभावित कीमत 200/– रूपये से अधिक नही हो तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी संस्था के पक्ष में विक्रय विलेख जारी कर सकेगी। बिना किसी कीमत वसुल किये हस्तांतरित कर सकेगी। ग्राम पंचायत कंटालिया द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबध में नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने का कोई तथ्य ग्राम पंचायत के रेकर्ड से स्पष्ट नही होता है, साथ ही कोई व्यक्ति सरपंच पद पर रहते हुए अपने स्वजनों को पट्टा जारी नही कर सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन सरंपच ने अपने पुत्र के नाम पट्टा जारी किया है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत दिये गए आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 118 को यथावत रखा जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कंटालिया द्वारा संकल्प संख्या 6 की पालना में जारी पट्टा संख्या 118 दिनांक 4.8.1974 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर, पाली